न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 75 / रा.भू.अधि. / 104 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. भगवानाराम पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी नया भुरटिया तहसील चौहटन	बनाम	1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन
2. कोहलाराम पुत्र मुलाराम		2.शेर खां पुत्र वली जाति मुसलमान निवासी रासबानी तहसील चौहटन
3. देदाराम पुत्र मुलाराम		3.बचु खां पुत्र हसन खां जाति मुसलमान नया भोजारिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।
4. खेमाराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी नया भोजारिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।		

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व जिला कलक्टर बाड़मेर बमुंकदमा सं. 64 / 2015 बअनवान बच्चु खां बनाम शेर खां वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।।

उपस्थित

1. वकील श्री अमृतलाल जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की ओर से।
3. वकील श्री अम्बालाल जोशी, श्री कुमार कौशल जोशी रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 12.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता संख्या 03 ने एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी शेर खां पुत्र वली खां जाति मुसलमान निवासी रासबानी को भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा मौजा भोजारिया के खसरा संख्या 472 / 2 नवीन खसरा संख्या 565 / 472 रकबा 75 बीघा का दिनांक 19,20 / 04 / 1973 को एवं मौजा रासबानी के खसरा संख्या 42 वर्तमान खसरा संख्या 183 / 42 रकबा 05.16 बीघा, खसरा संख्या 47 नवीन खसरा संख्या 191 / 47 रकबा 46.10 बीघा एवं खसरा संख्या 94 नवीन खसरा संख्या 229 / 94 रकबा 15.14 बीघा कुल रकबा 68 बीघा भूमि का दिनांक 21,22 / 07 / 1973 को आवंटन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देते हुए तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन नहीं करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी सद्भावी क्रेता है। सरकारी आवंटन होने तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आंवटी शेर खां के अधिकार निर्विवाद प्रतीत होने पर अपीलार्थी के पूर्वजों ने सन् 1981 में ये भूमि खरीद की गई। प्रथम आवंटन खसरा संख्या 472/2 की 75 बीघा भूमि का आवंटन 19.04.1973 को किया गया। अपीलार्थी के पूर्वजों को इस भूमि का बेचान खातेदारी अधिकार दिये जाने के पश्चात दिनांक 27.08.1981 को किया गया। शेर खां को दूसरा आवंटन प्रथम आवंटन के 03 माह पश्चात रासबानी में 68 बीघा भूमि का किया गया इसलिए भी अपीलार्थी को विक्रय की गई भूमि प्रथम आवंटन के होने से प्रथम आवंटन को निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देते हुए तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी सद्भावी क्रेता है। सरकारी आवंटन होने तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आंवटी शेर खां के अधिकार निर्विवाद प्रतीत होने पर अपीलार्थी के पूर्वजों ने सन् 1981 में इस भूमि की खरीद की गई। प्रथम आवंटन खसरा संख्या 472/2 की 75 बीघा भूमि का 19.04.1973 को किया गया। अपीलार्थी के पूर्वजों को इस भूमि का बेचान खातेदारी अधिकार दिये जाने के पश्चात दिनांक 27.08.1981 को किया गया। शेर खां को दूसरा आवंटन प्रथम आवंटन के 03 माह पश्चात रासबानी में 68 भूमि का किया गया इसलिए भी अपीलार्थी को विक्रय की गई भूमि प्रथम आवंटन के होने से प्रथम आवंटन को निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। रेस्पोडेंट शेर खां ने तहसीलदार चौहटन के आवेदन में अपने हिस्से में धारित भूमि को छिपाकर अपने को भूमिहीन बताकर आवंटन कमेटी के समक्ष इन तथ्यों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

छिपाकर, मिथ्या तथ्य प्रकट कर मौजा भोजारिया एवं बाद में रासबानी में अपने नाम से **दोहरा आवंटन** करवाया लिया जो गलत है। अपीलाधीन आदेश से दोनों आवंटन को खारिज किया जाना न्याय संगत था। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 02 शेरखान को ग्राम भोजारिया में जो आवंटन हुआ है उसकी जानकारी उसे नहीं है। वह ग्राम भोजारिया का रहने वाला भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में शेरखान ने अपने जबाव में भी इस बात को स्पष्ट किया है। उसने तत्समय भोजारिया वाला आवंटन निरस्त करने का भी कहा था लेकिन रासबानी का आवंटन सही होने से यथावत रखे जाने की अर्ज की थी। रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से भी विद्ववान अभिभाषक ने बहस करते हुए अवगत कराया कि शेरखान को ग्राम भोजारिया में जो आवंटन हुआ वह उसने नहीं कराया है। उस पर कब्जा काश्त भी नहीं है। इस खेत का आवंटन 10 वर्षीय हुआ था लेकिन शेरखान ने इससे पूर्व ही गैर खातेदार होते हुए भी आवंटित जमीन का बेचान किया जो गलत है इसलिए शेरखान को किया गया प्रथम आवंटन खारिज किया जावे तथा ग्राम रासबानी वाला बाद का आवंटन सही होने से यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह पाया कि ग्राम भोजारिया के खसरा संख्या 472/2 रकबा **75 बीघा का नामांतरकरण 601 दिनांक 07.12.1978** के अनुसार आवंटी शेरखान पुत्र वली कौम मुसलमान साकिन देह गैर खातेदार को खातेदारी दी गई जिसमें टिप्पणी अंकित है कि **"ढाई गुणा प्रमियम अदा करने पर खातेदारी का नामांतरकरण खोला गया।**

इसी तरह ग्राम रासबाणी के खसरा संख्या 42, 47, 94 रकबा क्रमशः 05.16 बीघा, 46.10 बीघा, 15.14 बीघा कुल 68 बीघा का **नामांतरकरण संख्या 180 दिनांक 03.09.1986 से आवंटी** शेर खान वल्द वली कौम मुसलमान साकिन देह गैर खातेदार को खातेदारी दी गई जिसमें टिप्पणी है कि **"श्रीमान तहसीलदार साहब चौहटन के आदेश संख्या 432 दिनांक 24.06.1986 की पालना में खातेदारी अधिकार नामांतरकरण खोला गया।**

ग्राम भोजारिया के खेत खसरा संख्या 472/2 रकबा 75 बीघा का खातेदार शेर खां वल्द वली कौम मुसलमान साकिन देह खातेदार द्वारा रजिस्टर्ड बेचान करने पर **नामांतरकरण संख्या 646 क्रेता के नाम भरा गया जिसमें टिप्पणी है** कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

"खातेदार शेर खां ने खसरा संख्या 472/2 रकबा 75 बीघा का बेचान रू 10,000 जरिये रजि. पुस्तक संख्या । जिल्द 42 के पृष्ठ 101–102 क्र.सं. 549 पर दिनांक 31.10.1981 (प्रस्तुति दिनांक 27.08.1981) को पंजीबद्ध किया गया के आधार पर नामांतरकरण भरा गया नकल रजिस्ट्री संलग्न है।"

प्रकरण संख्या 86/1979 में अप्रार्थी शेरखान द्वारा दिनांक 30.08.1979 को मय वकील जबाव पेश कर ग्राम भोजारिया में आवंटन नहीं करवाने एवं काश्त नहीं करना स्वीकार किया जो किसी भी सूरत में सत्य नहीं होने से मानने योग्य नहीं है क्योंकि आवंटी शेरखां ने इसी भूमि का इससे लगभग 06 माह पूर्व दिनांक 07.12.1978 को ही प्रीमियम की दुगुनी राशि अदा करके गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार हासिल किये जो ग्राम भोजारिया के नामांतरकरण संख्या 601 से साबित है।" आवंटन कमेटी की बैठक बींजराड़ में दिनांक 19.04.1973 की सिफारिश में स्पष्ट लिखा है कि शेरखान पुत्र वली उम्र 39 वर्ष जाति मुसलमान निवासी भोजारिया"। यह सिफारिश स्पष्ट करती है कि आवंटी शेरखान ने आवेदन करके ग्राम भोजारिया का निवासी और भूमिहीन बताकर ही उसने आवंटन करवाया।

अपीलाधीन निर्णय में आवंटन से पूर्व शेरखान के नाम 36.10 बीघा खातेदारी में होना उल्लेखित किया है परन्तु रिकॉर्ड पर कोई अभिलेखीय सबूत नहीं है।

आवंटी शेरखा पुत्र वली को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम भोजारिया में आवेदन करने पर ग्राम भोजारिया के खसरा संख्या 472/2 (नवीन खसरा संख्या 565/472) रकबा 75 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 19, 20/04/1973 को किया गया फलस्वरूप ग्राम भोजारिया के नामांतरकरण संख्या 349 दिनांक 08.10.1973 से गैर खातेदारी रूप में अंकन हुआ। इसी आवंटी शेरखा पुत्र वली को मौजा रासबानी में आवेदन करने पर रासबानी के खसरा संख्या 42 (183/4) रकबा 05.16 बीघा, खसरा संख्या 47 (191/47) रकबा 46.10 बीघा, खसरा संख्या 94 (229/94) रकबा 15.14 बीघा कुल रकबा 68 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 22 जुलाई 1973 (पूर्व में आवंटन से 03 माह पश्चात) को किया गया।

अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि "पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की जांच रिपोर्ट से यह साबित है कि आवंटी **अप्रार्थी शेरखां पुत्र वली खां एक ही व्यक्ति है।** आवंटी शेरखान का दोनो ग्रामों में भूमि का आवंटन हुआ। अर्थात उसने दौहरा आवंटन करवाया। अपीलाधीन निर्णय मे यह भी स्पष्ट किया गया है कि उसके(अप्रार्थी) द्वारा कपट एवं मिथ्यावचन के आधार पर भूमि आवंटन करवाया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2068–71 ग्राम भोजारिया खसरा संख्या 565/472 रकबा 75 बीघा भगवाना वल्द आसा, मूला वल्द आसा कौम जाट साकिन देह खातेदार के नाम है आवंटी शेरखान को ग्राम भोजारिया मे किया गया आवंटन सही होने से यथावत रखा जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटन शेरखान (रेस्पोडेंट संख्या 03) को ग्राम रासबानी में किया गया दूसरा (दोहरा आवंटन होने से) आवंटन पात्रता नहीं रखने से खारिज किया जाता है।

राजस्थान भू–राजस्व (अनाधिवासित भूमि जिसका आवंटन) नियम 1970 के नियम 12 में स्पष्ट परिभाषित अनुसार पात्रता का निर्धारण भूमिहीन व्यक्ति को कृषि भूमि आवंटन का प्रावधान एवं पात्रता का निर्धारण दिया गया है। प्रथम आवंटन के वक्त आवंटी शेरखान (पत्रावली पर कोई अभिलेखीय सबूत के अभाव में) भूमिहीन था और आवंटन का पात्र था। लिहाजा उसे ग्राम भोजारिया में प्रथम बार आवंटन किया गया जो सही है। इस आवंटन का गैर खातेदारी रूप में अंकन करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया एवं आवंटी ने बाकायदा दुगुनी प्रिमीयम राशि अदा कर खातेदारी हासिल की और आवंटित भूमि का आगे अपीलांटस के पिता को रजिस्टर्ड बेचान कर दिया। **पहले आवंटन के 03 माह बाद आवंटी शेरखान को ग्राम रासबानी में दुबारा 68 बीघा भूमि का और आवंटन हुआ। दूसरे आवंटन के वक्त वह भूमिहीन नहीं था और इसलिए वह आवंटन की कतई पात्रता नहीं रखता था। प्रथम आवंटन के वक्त आवंटन सलाहकार समिति द्वारा तत्समय निर्धारित सीमा 75 बीघा भूमि का आवंटन करने की सिफारिश की। इस से अधिक भूमि के आवंटन का वह हकदार भी नहीं था और दूसरा आवंटन छल–कपट, तथ्यों का छिपाव एवं मिथ्या जानकारी देकर कराया गया जो उपरोक्त नियम 1970 के नियम 14(4) में खारिज योग्य है।**

अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर बमुंकदमा सं. 64/2015 बअनवान बच्चु खां बनाम शेर खां वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.06.2017 को **केवल ग्राम रासबानी में हुए आवंटन के निरस्ती करने के निर्णय को यथावत रखा जाता है।**

12/9/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner